58138

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५, संसद मार्ग
पटेल चौक, नई दिल्ली - ११०००१
1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg
Patel Chowk, New Delhi - 110001
www.ncmei.gov.in

CERTIFICATE

Dated.........................

THIS IS TO CERTIFY THAT BY THE ORDER DATED 19TH DAY OF JANUARY 2012 PASSED BY THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS, NEW DELHI IN CASE NO. 822 OF 2011 (SUSANA METHODIST GIRLS B.ED. COLLEGE, CIVIL LINES, NEW HARIDWAR ROAD, ROORKEE, DIST. HARIDWAR, UTTARAKHAND, AND ORS. VS. SECRETARY, HIGHER EDUCATION DEPARTMENT, GOVERNMENT OF UTTARAKHAND), THE FOLLOWING COLLEGES RUN BY EXECUTIVE BOARD OF METHODIST CHURCH IN INDIA HAVE BEEN DECLARED AS MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS COVERED UNDER ARTICLE 30(1) OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Sl. No.	File No.	Name of the Colleges
1.	F. No. 822 of 2011	Susana Methodist Girls B.Ed. College, Civil Lines, New Haridwar Road, Roorkee, Dist. Haridwar, Uttarakhand.
2.	F. No. 823 of 2011	Methodist Girls Degree College, Civil Lines, New Haridwar Road, Roorkee, Dist. Haridwar, Uttarakhand.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 19TH DAY OF JANUARY 2012.

(RAJ SINGH)
SECRETARY

National Commission For Minority Educational Institutions * Delhi *

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 246174
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University,Srinagar(Garhwal),Uttarakhand-246174
(A Central University)

दूरभाष (01346)-252143,252167,252170
फैक्स (01346)-252174,252247
वेवसाइट–Website www.hnbgu.ac.in

पत्रांकः–मान्यता / 7059 दिनांक. 04/12/17

सेवा में,

सचिव / निदेशक,
मैथोडिस्ट गर्ल्स डिग्री कालेज,
3–सिविल लाइन रूडकी।

महोदय,

निरीक्षण समितियों की संस्तुति दिनांक 07.09.2017 एवं निरीक्षण समिति को कालेज द्वारा दिये गये 28 बिन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11(3) मे निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए उपधारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार मैथोडिस्ट गर्ल्स डिग्री कालेज, 3–सिविल लाइन, रूडकी में संचालित बी0ए0– हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिविज्ञान–120–120सीट, बी0ए0–अर्थशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान–60–60 सीट, एम0ए0 हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान–20–20सीट, बी0काम0 240सीट एवं एम0काम0 पाठ्यक्रम में 80 सीट के साथ शैक्षणिक सत्र 2017–18 (एक वर्ष) के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गई है कि:–

1. **नियमानुसार फैकल्टी का चयन कर विश्वविद्यालय से उनका अनुमोदन प्राप्त करना होगा।**
2. **फैकल्टी को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार भुगतान करना होगा।**
3. **संस्थान कार्यरत सभी फैकल्टी को इन्कम टैक्स फार्म–16 उपलब्ध करायेगा तथा प्रत्येक फैकल्टी को फरवरी माह में अपना इन्कम टैक्स रिटर्न जमा कराना होगा।**

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होगें:–

1. सभी पाठ्यकमों के लिए यू0जी0जी0 / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे माध्यम से करना होगा।
3. एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यकम संचालित नहीं किये जायेगें तथा दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नही करेगें।
5. कुलपति महोदय के आदेश / निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
7. निरीक्षण के समय सभी शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों के फार्म–16 देने होंगे।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत करना होगा:–

1. एक माह के अर्न्तगत फैकल्टी के नियुक्ति पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।
2. प्रत्येक तीन माह में फैकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अर्न्तगत उपलब्ध करानी होगी।
4. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

डा0(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

प्रतिलिपिः– 1. उपकुलसचिव परीक्षा।
2. प्रति कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. गार्ड फाइल।

डा0(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़–249199
Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand–249199
Tel :(01376)-254065 Fax :(01376)-254065 Website: www.sdsuv.ac.in Email.ID:sdsuv123@gmail.com

Ref:826 /SDSUV/RO/Affi-2017-18

Date: 21/05/2018

कार्यालय ज्ञाप

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा समीचीन कार्यवाही के उपरान्त, माननीय कुलाधिपति की स्वीकृति के क्रम में श्री देव सुमन उत्तर विश्वविद्यालय अधिनियम– 2011 (यथासंशोधित) के अध्याय– 6 की धारा– 33(1) के अधीन निम्न संस्थान को कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त स्तम्भ–3 में पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के सहर्ष प्रदान कर दी गयी है:–

क्रम संख्या	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मैथोडिस्ट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, रूड़की, हरिद्वार।	बी0एससी0(भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित)	60–60 सीट प्रत्येक विषय में(दो सैक्सन)कुल 120 सीट	शैक्षिक सत्र 2015–16 एवं सत्र 2016–17 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु	कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक –491/जी0एस0/शिक्षा/A11–/2018, दिनांक–04 मई, 2018
		बी0एससी0(रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान)	60 सीट प्रत्येक विषय में।		

1. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होनें तथा निर्विवाद गातिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना, तथा विश्वविद्यालय इसकी सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद में गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिर्पोट मा0 कुलाधिपति जी को प्रस्तुत करेंगें।
3. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुप सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लघंन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वंय या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जाता है और पाठ्यक्रम सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
5. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस के विरूद्व तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायगी।
6. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होनें पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्व नियमानु यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होनें की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्व नियमानुसार यथो कार्यवाही की जायेगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थ की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता ब जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत् उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
9. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ–साथ शैक्षिक–शैक्षणे फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ भी प्रकाशित किये जायेगें तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसा के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
10. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप बैंक खाते के माध से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी।
11. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं को नियामानुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
12. पाठ्यक्रम हेतु अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु कार्यवाही निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत पूर्व किया जाना सुनिश्चि किया जायेगा।

(दिनेश चन्द्रा)
प्रभारी कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, राजभवन देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. प्राचार्य/निदेशक, सम्बन्धित संस्थान को।
5. निजी सचिव, कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
6. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव/वित्त अधिकारी/प्रभारी परीक्षा/प्रभारी गोपनीय।
7. कार्यालय प्रति।

(दिनेश चन्द्रा)
प्रभारी कुलसचिव।